मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/एफ.102/2020-21/45 **दिनांकः 05 जनवरी, 2022**

कार्यालय आदेश

विषयः ***मानू-प्रशासन-कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय-केन्द्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में।***

संदर्भः *1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं.11013/9/2014-स्थापना-क-III, दिनांक 03 जनवरी, 2022*
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार आदेश सं.40-3/2020-डीएम-I(ए), दिनांक.27.12.2021
3. दिनांक.05.01.2022 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

* * *

कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के शुरुआती संकेतों के साथ-साथ, देश के विभिन्न भागों में चिंता के स्वरूप(वैरिएंट ऑफ कंसर्न) 'ओमिक्रॉन' की बढ़ती पहचान को देखते हुए, उद्धृत संदर्भ के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश, दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथा निम्नलिखित 31.01.2022 तक लागू रहेंगे।

(क) भौतिक उपस्थिति (अवर सचिव स्तर के नीचे) या सहायक कुलसचिव स्तर के वर्ग 'ए', वर्ग 'बी' तथा वर्ग 'सी' स्तर के कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित की जाती है तथा शेष 50% कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सलाह दी जा सकती है। कार्यालय प्रमुख उपस्थिति को विनियमित कर सकते हैं तथा अधिक अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दे सकते हैं। कार्यालय प्रमुख तदनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों का रोस्टर तैयार कर सकते हैं। जो कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार पर उपलब्ध होना होगा और वे घर से कार्य कर सकते हैं। उप कुलसचिव तथा समकक्ष एवं उपरोक्त वर्ग और सहायक कुलसचिवों को जहाँ पर वह अनुभाग अध्यक्ष है, नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होना है।

(ख) अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए दिए गए समय का पालन करना हैः
अ) 9.00 बजे से 5.30 बजे
आ) 10.00 बजे से 6.30 बजे

(ग) नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले इन अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालय नहीं आना है जब तक कि उसे गैर-नियंत्रण क्षेत्र घोषित नहीं कर दिया जाता।

(घ) दिव्यांगजन तथा गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी जा सकती है, परन्तु घर से कार्य जारी रहेगा, अतिरिक्त आदेश आने तक।

Scanned with Oken Scanner

(ङ) कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क पहनने, भौतिक दूरी बनाने, सैनिटाइज़र का उपयोग करने और हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोने सहित कोविड-उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा।

(च) लिफ्ट, सीढ़ियों, गलियारों, जलपान कियोस्क और पार्किंग क्षेत्रों सहित आम क्षेत्रों में भीड़ से सख़्ती से बचे।

(छ) जहां तक संभव हो बैठकें, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएंगी। बाह्य लोगों/आगंतुकों के प्रवेश पर उचित रूप से रोक लगाई जाए।

(ज) विशेष रूप से बार-बार छुए जाने वाली सतहों सहित कार्य-स्थल की उचित सफाई और नियमित स्वच्छता सुनिश्चित की जाए।

(झ) ये निर्देश आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों आदि पर लागू नहीं होंगे तथा जो सीधे तौर पर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय करने में लगे हुए हैं, यदि कोई हो।

सभी कर्मचारियों को समय-समय पर गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 उचित व्यवहार पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा दिनांक 31.01.2022 तक प्रभावी रहेंगे।

प्रभारी कुलसचिव

सेवा में

मुख्यालय के सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष/ विभागों के विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशक/ प्रधानाचार्य/ प्रभारी/ केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अनुभाग के अध्यक्ष (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक) एवं सैटलाइट कैम्पस, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण(डीएसडब्ल्यू), कुलानुशासक एवं प्रभारी सुरक्षा, प्रोवोस्ट(पुरूष एवं महिला)

प्रतिः

1.कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी कार्यालय
2.निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3.संबंधित फाइल

Scanned with Oken Scanner